

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई ए एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 493/2019 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस एम आई सी सी सी, एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर
सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स बाबा फैशन प्रो. श्री नरेश दरियानी पुत्र श्री अर्जुन दास दरियानी (ऋणी)

(अ) प्लॉट नं. एस-1-49, विजय लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डी.पी. कॉलोनी, सीकर हाऊस, चांदपोल बाजार,
जयपुर एवं

(ब) ए-16, गिरधर कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।



निर्णय

दिनांक 18.08.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स बाबा फैशन प्रो. नरेश दरियानी का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, राण्डी डेटर्स, ऑल दा प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इन्वयुपमेन्ट्स, सिक्कोरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को दृष्टिबन्धक कर राशि 3,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि भय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपने पास दृष्टिबन्धक उक्त सम्पत्ति का व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 3,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 2,68,012/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स बाबा फेशन प्रो. नरेश दरियानी का हाईपोथिकेटेड स्टॉक्स, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्राजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल दा प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्स्ड एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।
7. आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अन्तर-सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर